2017/00553

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 44 / 2017 (उदयपुर आर्डर)

1. भाणा पिता हीरा जी डांगी, निवासी अमरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
2. दला पिता हीरा जी डांगी, निवासी अमरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भेरा पिता कचरा जी डांगी, निवासी अमरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
2. पेमा पिता वेला जी डांगी, निवासी अमरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
3. कालू पिता देवा जी डांगी, निवासी अमरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
4. माना पिता रोड़ा जी डांगी, निवासी अमरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
5. मोगा पिता पेमा जी डांगी, निवासी अमरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
6. धूला पिता रोड़ा जी डांगी, निवासी अमरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
7. गेहरीलाल पिता पन्नालाल महाजन, निवासी अमरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
8. सरकार जरिये तहसीलदार, सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध

आदेश उपखण्ड अधिकारी, सराडा

दिनांक 20.12.2017 प्र.सं. 42/2015

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1— श्री हर्षद जोशी अभिभाषक अपीलान्टगण

2— श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

3— श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

---::---

निर्णय **दिनांक 02—03—2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अमरपुरा की आराजी नंबर 472 रकबा 0.3100 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं अधिपत्य की है, जिसके कुछ भाग पर विपक्षीगण द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया गया है, जिसे बेदखल कर मूलवाद के निर्णय तक उन्हें जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी।

विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 20—12—2017 से प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26—12—2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 औपचारिक पक्षकार सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट स्वयं द्वारा कब्जेयाबी का वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आधे भाग पर नाजायज कब्जा किये जाने से कब्जा पुनः अपीलान्ट को दिलाया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन

किया गया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं धारा 212 के प्रावधानों को समझे बिना निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किया जावे एंव अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया विवादित भूमि पर रेस्पोन्डेन्ट के मकान बने होकर उनका कब्जा है, जिसे 12 वर्षो से भी अधिक समय हो चुका है जो मौका रिपोर्ट से भी साबित है। विवादित भूमि पर अपीलान्टगण का कब्जा नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने इनका अस्थायी प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलान्टगण विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं, जिसके कुछ भाग पर रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा नाजायज कब्जा कर मकान व बाड़े बना लिये हैं, जो मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण का कब्जा बतौर अतिक्रमी है और अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है। अपीलान्टगण विवादित भूमि का रेकार्डेड खातेदार होने से मूलवाद के निस्तारण तक हम उसके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20–12–2017 निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्टगण के पक्ष में मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि रेस्पोन्डेन्टगण विवादित आराजी नंबर 472 रकबा 0.3100 हैक्टर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें, नाजायज कब्जा नहीं करें तथा उक्त आराजी के आधे हिस्से पर अपीलान्ट की फसलों को नष्ट नहीं करें न किसी अन्य से करावें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02–03–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 12:59:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: